221 (4) केन्द्रीय लोक उद्यमों में एल टी सी का निलंबन

लोक उद्यम विभाग के तारीख 22 मई, 2001 के सम संख्यक का.ज्ञा. की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसमें सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा को निलंबित किये जाने के निर्णय को प्रेषित किया गया था।

अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है उन लोक उद्यमों के कर्मचारियों को छु.या.रि. की सुविधाएं लेने की अनुमति दी जाएं जहां पर 1.1.92 और 1.1.97 से मजदूरी संशोधन को कार्यान्वित किया गया है। किन्तु जिन लोक उद्यमों में 1.1.92 या 1.1.97 से मजदूरी संशोधन अभी तक लागू नहीं किया गया है, वहां पर छु.या.रि. का निलंबन जारी रहेगा।

(लो.उ.वि. का 28 फरवरी, 2002 का का.ज्ञा.सं. 2(3)/2001–डी पी ई (डब्ल्यू सी)